जवाब दो!!!

सरकार

www.jawabdosarkar.com

देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

रेफरेंस संख्या –2020//tpf/01 E-Newsletter, Issued in Public Interest शुक्रवार, 8 मई 2020

कैसे होगा खाकी का इक़बाल बुलंद?

लगता है कि पुलिस विभाग और भ्रष्टाचार का जन्म-जन्मान्तर का साथ है|राजस्थान पुलिस द्वारा भ्रष्टाचार पर कार्यवाही करते हुए,भीलवाडा के शहर कोतवाल यशदीप भल्ला और पुर थाने के थानाधिकारी गजेन्द्र सिंह नरुका को निलंबित कर दिया| इसी मामले में पुर थाने के ही एक एस.आई राम गोपाल को चार्जशीट दी गयी है|बताया जा रहा है कि यह दोनों अधिकारियों की डयूटी छोड़कर **अन्य कार्यों** में लिप्त थे,स्थानीय पुलिस के काले कारनामों की शिकायतें पुलिस महानिदेशक के पास पहुंची थी,जिसके चलते ही इन दोनों के निलंबन की कार्यवाही की गयी|

समाचार-विश्लेषण

पुलिस महानिदेशक व महानिरीक्षक की कार्रवाई

कोतवाली और पुर थानाप्रभारी निलंबित

पुलिस में हड़कम्प: ड्यूटी छोड़कर अन्य गतिविधियों में पाई गई लिप्तता

पुर थाने के एसआइ को चार्जशीट

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

भीलवाड़ा. कोरोना लॉकडाउन के बीच गुरुवार को हुई बड़ी कार्रवाई से भीलवाड़ा पुलिस महकमे में हड़कम्प मच गया। कोतवाली थानाप्रभारी यशदीप भल्ला व पुर थानाप्रभारी गजेन्द्रसिंह नरुका को निलंबित कर दिया गया। दोनों की पुलिस की ड्यूटी छोड़कर अन्य गतिविधियों में लिप्तता पाई गई है।

एक सीआइ के खिलाफ पुलिस महानिदेशक (डीजीपी)भूपेंद्र यादव और दूसरे को अजमेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (आइजी) हवासिंह घूमारिया ने निलंबन के आदेश दिए। आइजी ने पुर थाने के एक उपनिरीक्षक को भी काम में लापरवाही बरतने पर चार्जशीट थमाकर स्पष्टीकरण मांगा।

लाखों स्क्रेप खुर्दबुर्द, कार्रवाई ही नहीं की

वर्ष 2018 में ट्रक से लाखों का स्क्रेप (भंगार) लेकर अहमदाबाद से अजमेर रवाना हुआ। चालक-खलासी ने बेईमानी करते पुर थाना क्षेत्र में फैक्ट्री में खुर्दबुर्द कर दिया। अजमेर में मालिक ने आपत्ति जताई और पुर थाने में रिपोर्ट दी। तब पुर थाना प्रभारी गजेंद्रसिंह थे। आइजी घूमारिया ने बताया कि तब मुल्जिम और माल दोनों सामने था। थानाप्रभारी ने मुकदमा भी दर्ज नहीं किया। ऊपरी स्तर पर मामला निपटा दिया। फिर सीआई नरूका का तबादला हुआ। दूसरे थानाप्रभारी ने मुकदमा दर्ज कर चार जने गिरफ्तार किए। दुबारा नरूका थाने पर पदस्थापित हुए। मामले की जांच थाने के उपनिरीक्षक रामगोपाल चौधरी के पास थी लेकिन फाइल रफ्तार नहीं पकड़ पाई। शिकायत आइजी घूमारिया को हुई। उन्होंने जांच कराई तो नरूका का गड़बड़झाला सामने आया। उन्होंने

यशदीप भल्ला, कोतवाली

गजेंद्रसिंह नरूका पुर थाना

सिंह को निलंबित कर दिया। एसआइ रामगोपाल को चार्जशीट दी।

लेनदेन से निपटा विवाद

चर्चित रहे बारूद व्यवसायी ने एक व्यक्ति को ब्याज पर चलाने के लिए चार करोड़ रुपए दिए। इनमें दो करोड़ व्यवसायी को लौटा दिए। शेष ब्याज समेत नहीं लौटाए जा रहे थे। व्यवसायी ने पहलवान और एक व्यक्ति को उगाही का ठेका दिया। दोनों ने जिस व्यक्ति को ब्याज पर चलाने को पैसा दिया, उससे गंभीर मारपीट कर दी। शिकायत उच्चाधिकारियों तक पहुंची। इसकी जांच कोतवाली प्रभारी भल्ला को दी। भल्ला ने दबाव डाल समझौता करा दिया। आरोप तो यहां तक है कि पहलवान से मिलकर उस व्यक्ति से मारपीट तक हुई। इसकी शिकायत डीजीपी तक पहुंची। डीजीपी ने जांच करवाई। प्रारंभिक जांच में गड़बड़ी सामने आने पर सीआइ भल्ला को निलंबित कर दिया।

साढ़े चार माह बाद दो सीआई पर कार्रवाई

दिसम्बर-2019 में सुभाषनगर थाने के तत्कालीन प्रभारी अजयकांत और भीमगंज थानाप्रभारी भूपेश शर्मा को निलंबित किया था। सीआई अजयकांत पर नशीली दवा के मामले में थाना बदलकर मामला दर्ज करने और ट्रॉवेल्स संचालक को छोड़ने की एवज में 11 लाख रुपए में सौदा करने का आरोप था जबकि एसआइ भूपेश पर ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे में कई लोगों को बचाने का आरोप था।

बंद कमरे में लगाई थी फटकार

आइजी घूमारिया दो दिन पहले भीलवाड़ा आए थे। एसपी ऑफिस में अधिकारियों की बैठक ली। उसके बाद सीआइ नरुका और भल्ला को बंद कमरे में फटकार लगाई। उनको नसीहत दी थी कि गलत काम छोड़ दें। सीआई भल्ला को यहां तक कहां कि उनकी

लगातार शिकायत डीजीपी तक जा रही है। माना जा रहा है कि आइजी दोनों मामलों में पूछताछ के लिए ही भीलवाड़ा आए थे।

आइजी हवासिंह घूमारिया से बातचीत

अचानक दो एसएचओ को निलंबित करने का क्या कारण रहा?

जवाब: दोनों सीआइ पर गंभीर आरोप है। पुलिस का काम छोड़ दूसरे कामों में लगे थे।

क्या आपने दोनों को निलंबित किया?

जवाब: सीआइ भल्ला को डीजीपी और नरूका को मैंने निलंबित किया।

गड़बड़ी में और भी पुलिसकर्मी शामिल हैं क्या?

जवाब: इसकी जांच करा रहे हैं। पुर थाने के उपनिरीक्षक को चार्जशीट देकर स्पष्टीकरण मांगा है। इसकी भी मिलीभगत रहेगी तो बक्शा नहीं जाएगा। पुर थाने में दर्ज मामले की दुबारा जांच होगी।

इन हालात में जनता का पुलिस से विश्वास उठ रहा?

जवाब: पुलिस महकमे का इकबाल कायम है। गलत करने वाले को बक्शा नहीं जाएगा और अच्छा काम करने वाले को इनाम मिलेगा।

वर्तमान हालात में थानों पर फरियादियों की सुनवाई नहीं हो रही?

जवाब: ऐसा नहीं है। पुलिस ईमानदारी के साथ काम कर रही है। जो गलत कर रहे, उनको सुधरने की जरूरत है। सोशल मीडिया का जमाना है। गलती और गड़बड़ी कभी छिपती नहीं। जनता जागरूक है।

साभार:-राजस्थान पत्रिका,भीलवाडा संस्करण में दिनांक 08/05/2020 को प्रकाशित खबर

क्या था मामला?

ख़बरों के अनुसार शहर कोतवाल यशदीप भल्ला एक बड़ी रकम की वसूली में सेटलमेंट करा रहे थे,वही पुर थानाधिकारी गजेन्द्र सिंह नरुका दो साल पुराने एक मामले जिसमे उनके द्वारा एक स्क्रेप से भरे ट्रक को ही गायब करवा दिया था|

जवाब मांगते सवाल?

- जब दो साल से पुर थानाधिकारी गजेन्द्र सिंह नरुका के खिलाफ इसी मामले में जांच चल रही थी तो क्यों उन्हें वापस इसी थाने में लगा दिया गया?
- शहर कोतवाल यशदीप भल्ला ने शहर कोतवाल रहते और कितने गडबडझाले कर रखे है?
- इन दोनों पुलिस अधिकारीयों के खिलाफ और कितनी शिकायतें मिली है?
- जिला पुलिस अधीक्षक के होते हुए शिकायत कैसे उपर तक पहुँच गयी?क्या जिले में रिश्वत का पैसा उपर तक पहुँचता है?
- आखिर पुलिस निरंकुश क्यों हो जाती है?
- आखिर क्यों स्थानीय थाने मामले सेटलमेंट कराने के अड्डे बनते जा रहे है?
- यदि यही हालात रहे तो पुलिस थानों में आम जनता की सुनवाई कैसे होगी?

शहर कोतवाल भल्ला और पुर सीआई नरूका निलंबित

अनियमितता और लेनदेन की शिकायत पर चल रही थी विभागीय जांच

भास्कर संवाददाता | भीलवाड़ा

शहर कोतवाल यशदीप भल्ला और पुर एसएचओ गजेंद्रसिंह नरूका को निलंबित किया है। भल्ला को डीजीपी भूपेन्द्र सिंह यादव और नरूका के लिए आईजी ने आदेश दिए हैं। कोतवाल के निलंबन के पीछे लेनदेन और अनियमितता की शिकायत की बात सामने आई है।

एसपी हरेन्द्र कुमार महावर ने बताया कि अनियमितता की शिकायत को लेकर विभागीय जांच के चलते डीजीपी डॉ. यादव के आदेश के बाद कोतवाल भल्ला को निलंबित कर दिया। फिलहाल किसी को शहर कोतवाल का चार्ज नहीं दिया है। दो दिन पहले रेंज आईजी हवासिंह घुमरिया ने भी दौरा किया था। उस समय भी कोतवाल के निलंबन की चर्चा थी। बताया जा रहा है कि आईजी घुमरिया ने भी कोतवाल के खिलाफ चल रही शिकायतों की विभागीय जांच की जानकारी ली थी। गौरतलब है कि अक्टूबर 2019 में शहर में रेलवे स्टेशन क्षेत्र में होटल में विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट के बाद कोतवाली थाने में हंगामा हुआ था। इसके बाद जिले के कांग्रेस नेता के रिश्तेदार से विवाद भी हुआ था।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक शहर के एक एक्सप्लोसिव व्यवसायी के खिलाफ कुछ साल पुराना प्रकरण चल रहा था। इस व्यवसायी के किसी पार्टी में 4 करोड़ रुपए बकाया थे। दूसरी पार्टी आधी राशि देने को तैयार नहीं थी। इस मामले में सेटलमेंट होकर दो करोड़ में से काफी राशि भी दे दी गई, लेकिन रुपए वसूली करने वाले लोगों ने इस पार्टी से मारपीट कर दी, जिससे मामला बिगड़ गया। इस मामले के सेटलमेंट में कोतवाल भल्ला की भूमिका की शिकायत अधिकारियों से की थी। ये शिकायत डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव तक भी पहुंच गई थी। माना जा रहा है कि इसी प्रकरण में कोतवाल पर गाज गिरी।

स्क्रैप से भरे ट्रक के खुर्द-बुर्द मामले में पुर सीआई पर हुई कार्रवाई : पुलिस सूत्र

भल्ला को निलंबित करने के बाद शाम को पुर थाना प्रभारी गजेन्द्र सिंह नरूका पर भी निलंबन की गाज गिर गई। पुर थाना प्रभारी गजेन्द्र सिंह को निलम्बित करने के आदेश अजमेर रेंज आईजी घुमरिया ने दिए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार 2018 में अहमदाबाद से स्क्रैप से भरा ट्रक अजमेर जा रहा था। ट्रक को बीच में ही गायब कर पुर थाना क्षेत्र में खुर्दबुर्द कर दिया। अजमेर निवासी स्क्रैप व्यवसायी ने मामला दर्ज कराया था। आरोप है कि मामले में जांच के बाद स्थिति साफ होने के बावजूद आरोपियों को बचाने का प्रयास किया। इसमें पुर सीआई गजेंद्र सिंह नरूका की भूमिका संदेह में थी। इस मामले में आईजी घुमरिया ने पुर सीआई नरूका को निलंबित करने के आदेश दिए।

साभार:-दैनिक भास्कर,भीलवाडा संस्करण में दिनांक 08/05/2020 को प्रकाशित खबर